यूनविर्सल पोस्टल यूनयिन

प्रीलम्सि के लयि:

यूनविर्सल पोस्टल यूनयिन

मेन्स के लयि:

यूनविर्सल पोस्टल यूनयिन कार्य पद्धत, भारत-पाकस्तिान के द्वपिक्षीय संबंधों से संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकस्तिान ने **यूनविर्सल पोस्टल यूनयिन (Universal Postal Union- UPU)** के नयिमों के वपिरीत जाकर भारत से आदान-प्रदान होनी वाली डाक सेवा (Postal Exchange) को (भारत को सूचति कए बगैर) बंद कर दयिा।

प्रमुख बदि

- पाकस्तिान के इस कदम से पहले तक दोनों देशों के बीच लगभग दैनकि रूप से डाक का आदान-प्रदान कयिा जा रहा था। दोनों देशों के बीच कोई नयिमति और सीधा हवाई संपर्क नहीं होने के कारण सऊदी अरब के हवाई मार्ग से डाक का आदान-प्रदान कयिा जा रहा था।
- भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय डाकों को 28 अधकृित डाकघरों के माध्यम से प्रबंधति कयिा जाता है, इनमें से दल्लिी और मुंबई के डाकघरों को पाकस्तिान के साथ आदान-प्रदान होने वाली डाकों के लयि नामति कयिा गया है।
- UPU के अतरिक्ति तीन और समझौते- एक्सचेंज ऑफ वैल्यू पेबल आर्टकिल (Exchange of Value Payable Article), 1948; एक्सचेंज ऑफ पोस्टल आर्टकिल (Exchange of Postal Article), 1974 तथा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एग्रीमेंट (International Speed Post Agreement), 1987 भारत एवं पाकस्तिान के बीच डाकों के आदान-प्रदान को वनियिमति करते हैं।

यूनविर्सल पोस्टल यूनयिन के बारे में:

- यूनविर्सल पोस्टल यूनयिन (Universal Postal Union-UPU) अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान-प्रदान को वनियिमति करता है और अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के लयि दरों को तय करता है।
- इसका गठन वर्ष 1874 में कयिा गया था और इसका मुख्यालय स्वज़िटरलैंड के बर्न में स्थति है।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 192 हैं।
- इसकी चार इकाइयाँ नम्निलखिति हैं-

1. कॉन्ग्रेस।
2. प्रशासन परषिद।
3. अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो।
4. डाक संचालन परषिद।

- यह वशि्व भर के 6.40 लाख पोस्टल आउटलेट को नयिंत्रति करता है। भारत 1 जुलाई, 1876 और पाकस्तिान 10 नवंबर, 1947 को UPU में शामलि हुए थे।

यूनविर्सल पोस्टल यूनयिन की क्रयिावधि:

- UPU की एक इकाई अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने वर्ष 2018 में एक कन्वेंशन मैनुअल (Convention Manual) जारी किया, जिसके अनुच्छेद 17-143 में डाक सेवाओं के अस्थायी निलंबन और बहाली के लिये उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के नियमों के तहत जब कोई देश किसी देश के साथ विनिमय को निलंबित करने का फैसला करता है तो उसे दूसरे देश (जैसे भारत) को इस बारे में सूचित करना चाहिये, साथ ही यदि संभव हो तो जिस अवधि के लिये सेवाएँ रोकी जा रही हैं उसका भी विवरण दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सभी सूचनाएँ अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ भी साझी की जानी चाहिये।
- भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न तीन द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार भी पाकिस्तान को निलंबन की पूर्व सूचना भारत को देनी चाहिये थी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/universal-postal-union